

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 21 / संचा.-वि.स. / 2025

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
अपेक्स बैंक,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
3. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 257 तारांकित द्वारा डॉ. चरण दास महंत, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 257 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 03.12.2025 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 28 / 11 / 2025

पृ.क्रमांक 22 / संचा.-वि.स. / 2025

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/12/2025

वर्ग : 2 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/12/2025

विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में शार्टेज तथा क्षति की पूर्ति

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 257) डॉ.चरण दास महंत

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक उपार्जित धान में से खरीदी केंद्रों तथा संग्रहण केन्द्रों में वर्षवार कितनी-कितनी कमी आई, मात्रा तथा राशि बताएं ? (ख) धान उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केंद्रों में शार्टेज से होने वाली क्षति की पूर्ति किस-किस प्रकार से की जाती है? किसे-किसे उत्तरदायी ठहराया जाता है ? (ग) क्या संग्रहण केन्द्रों पर होने वाली कमी से हुई क्षति की पूर्ति उसे हानि मानकर विभागीय बजट से की जाती है? यदि हां तो क्षति की राशि तथा पूर्ति की राशि का वर्षवार विवरण दीजिए? भारत सरकार द्वारा शार्टेज मान्य करने की निर्धारित दर क्या-क्या रही है ? (घ) क्या उपार्जन केन्द्रों पर आने वाली धान के शार्टेज के मूल्य की वसूली पैक्स से की जाती है ? यदि हां, तो किस नियम/निर्देश के अंतर्गत? उसकी प्रति उपलब्ध कराएं?

Sent From : vidhan | Sent Date : 28/11/2025 10:47:42 |

Remark :

मार्कफेड
अपेक्षित
समस्त कार्य